# -:प्रेस नोट:-

**दिनांक- 27.08.2025**

# कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन ईगल” के क्रम में थाना चिल्ला पुलिस टीम द्वारा द्वारा 02 अन्तर्राज्यीय अवैध गांजा तस्करों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 22 किलो अवैध सूखा गांजा किया गया बरामद।**
- **अभियुक्तों द्वारा मध्य प्रदेश के रास्ते लाई जाती थी अवैध गांजे की खेप। बांदा और आसपास के जनपदों में की जाती थी अवैध गांजे की बिक्री।**

**विवरण-** पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के  कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजवीर सिंह गौर के नेतृत्व में आज दिनांक 27.08.2025 को थाना चिल्ला पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना तिन्दवारी मोड पपरेन्दा तिराहे से दो अभियुक्तों को लगभग 04 लाख रुपये कीमत के अवैध सूखा गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त मध्य प्रदेश के रास्ते से अवैध सूखे गांजे की खेप लाते थे तथा बांदा और आसपास के जनपदों में इसकी बिक्री करते थे। अभियुक्तों के कब्जे से 22 किग्रा अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ है। जिसके सम्बन्ध में थाना चिल्ला पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को मा0 न्यालय भेजा गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1.धर्मेन्द्र सिंह उर्फ पंजाबी पुत्र लालजी सिंह निवासी ग्राम पहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट।

2.संजय सिंह उर्फ मोनू पुत्र लल्लू सिंह निवासी ग्राम पहरा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट।

**बरामदगी-**

- 22 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा

**पंजीकृत अभियोग-**

- मु0अ0सं0- 108/25 धारा 8/20 NDPS थाना चिल्ला जनपद बांदा

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

1. श्री संदीप तिवारी प्र0निरी0 चिल्ला
2. वरि0उ0नि0 श्री रामदिनेश तिवारी
3. हे0का0 भूपेन्द्र सिंह
4. कां0 सचिन कुमार
5. कां0 कल्याण